12/2017

अपील सूचना अधिकार संख्या 12/2017 अनवानी राधेश्याम गोयल पुत्र श्री भगवानदास गोयल निवासी 23 के ब्लॉक, श्रीगंगानगर बनाम लोक सूचना अधिकारी, जिला कलक्टर, श्रीगंगानगर

जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर

11–04–2017

पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी श्री राधेश्याम गोयल उपस्थित है। लोक सूचना अधिकारी के प्रतिनिधि उपस्थित नही है। अपीलार्थी की बहस सुनी गई एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

अपीलार्थी का कथन है कि उसके द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत आवेदन पत्र दिनांक 12.11.2016 के द्वारा लोक सूचना अधिकारी, जिला कलक्टर कार्यालय श्रीगंगानगर से चाही गई कुल 11 बिन्दुओं की सूचना उपलब्ध नही करवाई गई है जो उसे उपलब्ध करवाई जावे एवं लोक सूचना अधिकारी द्वारा सूचना उपलब्ध न करवाये जाने के कारण उनके विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जावे एवं उन पर 25000 रूपये का जुर्माना लगाया जावे।

पत्रावली का अवलोकन किया गया तो पाया कि अपीलार्थी श्री राधेश्याम गोयल ने अपने सूचना के अधिकार अधिनियम के आवेदन पत्र दिनांक 12.11.2016 के द्वारा लोक सूचना अधिकारी, जिला कलक्टर कार्यालय, श्रीगंगानगर से निम्न सूचनांए चाही थीः–

प्रार्थी के पत्रांक 6275 दिनांक 18..08.16 से संबंधित सूचनांएः–

1. प्रार्थी का पत्रांक आपके कार्यालय में पहुचंने की तिथि व पत्र प्राप्ति दिनांक की सूचना व प्रमाणित प्रतिलिपि।
2. पत्र प्राप्ति से इस पत्र का जवाब देने तक जो–जो कार्यवाही जिस–जिस कर्मकार द्वारा की गई उसकी सूचना। कर्मकार व अधिकारी का नाम व पद की सूचना व प्रमाणित प्रतिलिपि।
3. श्री सांवर मल रेगर द्वारा (तहसीलदार द्वारा) एपीपी (सहायक लोक अभियोजक) से मुकदमें की पैरवी करवाने हेतु माननीय न्यायालय से निवेदन किया, जिसमें सहायक लोक अभियोजक महोदय ने स्वीकृति प्रदान की इस बाबत सूचना व प्रमाणित प्रतिलिपि।
4. सहायक लोक अभियोजक द्वारा प्रकरण में जिस दिवस पैरवी करनी प्रारम्भ की उस दिवस की सूचना व प्रमाणित प्रति।
5. प्रकरण में पैरवी सहायक लोक अभियोजक द्वारा किये जाने के उपरान्त भी तहसीलदार श्री सांवरमल रेगर द्वारा श्री प्रेम प्रकाश मक्कड़ को अधिवक्ता पैरवी करने हेतु जिस अधिनियम के अन्तर्गत नियुक्त किया गया है व जिस अधिकारी की अनुमति से नियुक्त किया गया है उसकी सूचना व नियम व अधिकारी की स्वीकृती के आदेश की प्रमाणित प्रतिलिपि।
6. श्री सांवरमल रेगर द्वारा प्राईवेट वकील नियुक्त करने के नियम न होने पर भी नियुक्त किये जाने पर विधि की अवज्ञा के फलस्वरूप, श्री सांवरमल रेगर तहसीलदार के विरूद्ध जिस अधिनियम के विरूद्ध कार्यवाही नही की गई है उसकी सूचना व प्रमाणित प्रति नियम की।
7. प्रकरण में श्री सांवरमल रेगर द्वारा सरसरी, सबूत दिनांक 13.05.2016 को आधे ही न्यायालय में दर्ज करवाने के उपरान्त सम्पूर्ण बयान दर्ज जिस दिवस करवाने हेतु जो–जो कार्यवाही की गई, जिस–जिस कर्मकार व अधिकारी व सहायक लोक अभियोजक, एसडीएम साहब श्रीगंगानगर व जिला कलक्टर, श्रीगंगानगर द्वारा की गई उसकी सूचना व कार्यवाही की प्रमाणित प्रतिलिपि।
8. मिथ्या दस्तावेज श्री सांवरमल रेगर द्वारा न्यायालय में प्रस्तुत किये जाने पर उनके विरूद्ध पद का दुरूपयोग करने व मिथ्या दस्तावेज पेश करने का आधार पर दण्डात्मक कार्यवाही जिस नियम के अन्तर्गत नही की गयी है उसकी सूचना व नियम की प्रमाणित प्रतिलिपि।
9. प्रकरण विधान सभा चुनाव से सम्बन्धित होने के कारण श्री सांवरमल रेगर द्वारा दस्तावेज लोकसभा चुनाव से सम्बन्धित प्रस्तुत किये है जिससे उनके द्वारा अभियुक्त से मिलकर षडयंत्र करने की बू आती है इस बाबत सूचना व प्रमाणित प्रतिलिपि।
10. श्री सांवरमल रेगर तहसीलदार, श्रीगंगानगर द्वारा निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी (एसडीएम) श्रीगंगानगर को प्रकरण में सम्बन्धित दस्तावेजो की प्रमाणित प्रतियां एसडीएम, श्रीगंगानगर द्वारा उपलब्ध कराये जाने व न कराये जाने के नियम की सूचना व प्रमाणित प्रतिलिपि।
11. एसडीएम साहब दस्तावेजों की प्रमाणित प्रतिलिपियां प्रकरण से सम्बन्धित उपलब्ध न करवाये जाने पर उनके विरूद्ध कार्यवाही न किये जाने के नियम की सूचना व नियम की प्रमाणित प्रतिलिपि।

जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर

अपीलार्थी के अपील पत्र पर निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी (एस.डी.एम.) श्रीगंगानगर ने अपना प्रतिवेदन सं0 2221 दिनांक 23.02.17 प्रस्तुत किया है कि अपीलार्थी द्वारा चाही गई बिन्दुवार सूचना उनके कार्यालय के पत्र सं0 1924 दिनांक 13.12.16 के द्वारा पंजिकृत डाक से प्रार्थी को समय पर उपलब्ध करवा दी गई थी। इसलिए अपील खारिज की जावे।

सहायक लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी, श्रीगंगानगर द्वारा पत्र सं0 1924–25 दिनांक 13.12.2016 से अपीलार्थी को निम्नानुसार उत्तर दिया गया है:–

बिन्दु संख्या	प्रश्न	उत्तर
1.	प्रार्थी का पत्रांक आपके कार्यालय में पहुचंने की तिथि व पत्र प्राप्ति दिनांक की सूचना व प्रमाणित प्रतिलिपि।	मुख्य चुनाव अधिकारी शासन सचिवालय राज0 सरकार जयपुर से संबधित है।
2.	पत्र प्राप्ति से इस का जवाब देने तक जो–जो कार्यवाहीजिस–जिस कर्मकार द्वारा की गई उसकी सूचना। कर्मकार व अधिकारी का नाम व पद की सूचना व प्रमाणित प्रतिलिपि।	मुख्य चुनाव अधिकारी शासन सचिवालय राज0 सरकार जयपुर से संबधित है।
3.	श्री सांवर मल रेगर द्वारा (तहसीलदार द्वारा) एपीपी (सहायक लोक अभियोजक) से मुकदमें की पैरवी करवाने हेतु माननीय न्यायालय से निवेदन किया जिसमें सहायक लोक अभियोजक महोदय ने स्वीकृति प्रदान की, इस बाबत सूचना व प्रमाणित प्रतिलिपि।	ए.सी.जे.एम.संख्या 1 मे इस्तगासा प्रस्तुत करने सबंधी कार्यवाही की चित्र प्रति संलग्न है।
4.	सहायक लोक अभियोजक द्वारा प्रकरण में जिस दिवस पैरवी करनी प्रारम्भ की उस दिवस की सूचना व प्रमाणित प्रति।	ए.सी.जे.एम.संख्या 1 मे इस्तगासा प्रस्तुत करने सबंधी कार्यवाही की चित्र प्रति संलग्न है।
5.	प्रकरण में पैरवी सहायक लोक अभियोजक द्वारा किये जाने के उपरान्त भी तहसीलदार श्री सांवरमल रेगर द्वारा श्री प्रेम प्रकाश मक्कड़ को अधिवक्ता पैरवी करने हेतु जिस अधिनियम के अन्तर्गत नियुक्त किया गया है व जिस अधिकारी की अनुमति से नियुक्त किया गया है उसकी सूचना व नियम व अधिकारी की स्वीकृती के आदेश की प्रमाणित प्रतिलिपि।	जहां तक आप द्वारा चाही गई सूचना उपलब्ध करवाये जाने का प्रश्न है राजस्थान सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 2 च में सूचना से तात्पर्य किसी भी स्वरूप में कोई भी सामग्री इसमें किसी भी इलक्ट्रोनिक्स रूप में धारित अभिलेख, दस्तावेज, ज्ञापन, ई–मेल, मत, सलाह, प्रेस–विज्ञप्ति, परिपत्र, आदेश, लॉग बुक, संविदा, रिपोर्ट, कागजात, नमूने, मॉडल संबधी सामग्री शामिल है। लोकसूचना अधिकारी द्वारा सूचना सृजित करना या सूचना की व्याख्या करना या आवेदक द्वारा उठाई गई समस्याओ का समाधान करना या काल्पनिक प्रश्नो के उत्तर देना अपेक्षित नही है। सूचना का सृजन करना अधिनियम कि कार्यक्षेत्र से बाहर है चूकि खोजकर खोजे गये तथ्यों के आधार पर नई सूचना बनाकर दिया जाना सूचना के अधिकार के तहत नही आता है।
6.	श्री सांवरमल रेगर द्वारा प्राईवेट वकील नियुक्त करने के नियम न होने पर भी नियुक्त किये जाने पर विधि की अवज्ञा के फलस्वरूप, श्री सांवरमल रेगर तहसीलदार के विरूद्ध जिस अधिनियम के विरूद्ध कार्यवाही नही की गई है उसकी सूचना व प्रमाणित प्रति नियम की।	
7.	प्रकरण में श्री सांवरमल रेगर द्वारा सरसरी, सबूत दिनांक 13.05.2016 को आधे ही न्यायालय में दर्ज करवाने के उपरान्त सम्पूर्ण बयान दर्ज किस दिवस करवाने हेतु जो–जो कार्यवाही की गई, जिस–जिस कर्मकार व अधिकारी व सहायक लोक अभियोजक, एसडीएम साहब श्रीगंगानगर व जिला कलक्टर, श्रीगंगानगर द्वारा की गई उसकी सूचना व कार्यवाही की प्रमाणित प्रतिलिपि।	जहां तक आप द्वारा चाही गई सूचना उपलब्ध करवाये जाने का प्रश्न है राजस्थान सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 2 च में सूचना से तात्पर्य किसी भी स्वरूप में कोई भी सामग्री इसमें किसी भी इलक्ट्रोनिक्स रूप में धारित अभिलेख, दस्तावेज, ज्ञापन, ई–मेल, मत, सलाह, प्रेस–विज्ञप्ति, परिपत्र, आदेश, लॉग बुक, संविदा, रिपोर्ट, कागजात, नमूने, मॉडल संबधी सामग्री शामिल है। लोकसूचना अधिकारी द्वारा सूचना सृजित करना या सूचना की व्याख्या करना या आवेदक द्वारा उठाई गई समस्याओ का समाधान करना या काल्पनिक प्रश्नो के उत्तर देना अपेक्षित नही है। सूचना का सृजन करना अधिनियम कि कार्यक्षेत्र से बाहर है चूकि खोजकर खोजे गये तथ्यों के आधार पर नई सूचना बनाकर दिया जाना सूचना के अधिकार के तहत नही आता है।
8.	मिथ्या दस्तावेज श्री साबरमल रेगर द्वारा न्यायालय प्रस्तुत किये जाने पर उनके विरूद्ध पद का दुरूपयोग करने व मिथ्या दस्तावेज पेश करने का आधार पर दण्डात्मक कार्यवाही जिस नियम के अन्तर्गत नही की गयी है उसकी सूचना व नियम की प्रमाणित प्रतिलिपि।	
9.	प्रकरण विधान सभा चुनाव से सम्बन्धित होने के उपरान्त श्री सागरमल रेगर द्वारा दस्तावेज लोकसभा चुनाव से सम्बन्धित प्रस्तुत किये है जिससे उनके द्वारा अभियुक्त से मिलकर षडयंत्र करने की बू आती है इस बाबत सूचना व प्रमाणित प्रतिलिपि।	

जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर
12/2017

10.	श्री सांवरमल रेगर तहसीलदार, श्रीगंगानगर द्वारा निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी (एसडीएम) श्रीगंगानगर को प्रकरण में सम्बन्धित दस्तावेजो की प्रमाणित प्रतियां एसडीएम, श्रीगंगानगर द्वारा उपलब्ध कराये जाने व न कराये जाने के नियम की सूचना व प्रमाणित प्रतिलिपि।	
11	.एसडीएम साहब दस्तावेजों की प्रमाणित प्रतिलिपियां प्रकरण से सम्बन्धित उपलब्ध न करवाये जाने पर उनके विरूद्ध कार्यवाही न किये जाने के नियम की सूचना व नियम की प्रमाणित प्रतिलिपि।	

लोक सूचना अधिकारी द्वारा अपीलार्थी को दिये गये उक्त उत्तर के अवलोकन से पाया गया कि अपीलार्थी द्वारा पत्र सं0 6275 दिनांक 18.08.16 के संबंध में बिन्दु सं0 1 की चाही गई सूचना स्पष्ट रूप से उपलब्ध नही करवाई गई है जो लोक सूचना अधिकारी द्वारा स्पष्ट रूप से उपलब्ध करवाई जानी चाहिए व बिन्दु सं0 3 व 4 की सूचना उनके द्वारा अपीलार्थी को उपलब्ध करवाई जा चुकी है। अपीलार्थी द्वारा शेष बिन्दु सं0 2 व 5 से 11 तक की चाही गई सूचना कोई निश्चित व स्पष्ट सूचना नही है और प्रश्नात्मक रूप में है। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 2(एफ) के अनुसार सूचना वही देय है जिस पर लोक सूचना अधिकारी की पहुंच हो अर्थात दूसरे शब्दो में सूचना वही देय है जो निश्चित अभिलेखो में उपलब्ध हो और प्रश्नात्मक रूप में नही होनी चाहिए। सूचना के रूप में प्रत्यर्थी न तो नई सूचना बना सकते है और न ही वे स्वयं का मत दे सकते है। लोक सूचना अधिकारी से यह अपेक्षित है कि वह आवेदक को सामग्री उसी रूप में प्रदान करे जिस रूप में लोक प्राधिकरण के पास उपलब्ध है। सामग्री में से कुछ तथ्यों को खोजकर नागरिक को ऐसे खोजे गये तथ्यो को प्रदान करना लोक सूचना अधिकारी का काम नही है। इस अधिनियम के प्रावधानो के अन्तर्गत किसी लोक अधिकारी को किसी भी कार्य को किसी विशेष तरीके से करने या न करने के आदेश/निर्देश नही दिये जा सकते। सूचना का अधिकार अधिनियम में प्रदत्त "सूचना" का अर्थ विभिन्न स्वरूपों में उपलब्ध सूचना तक सीमित है तथा जिस स्वरूप में सूचना उपलब्ध है उसी रूप में उसे प्रदान किया जा सकता है। सूचना के रूप में कोई सुझाव देना किसी परिवेदना के निवारण के लिए प्रार्थना करना अथवा किसी नियम या सामग्री के बारे में स्पष्टीकरण या उसकी व्याख्या प्राप्त करने की कोई गुंजाईश नही है। इस प्रकार सहायक लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी, श्रीगंगानगर द्वारा दिया गया उक्त उतर दिनांक 13.12.2016 सही है जिसमें किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता प्रतीत नही होती है। अतः बिन्दु सं0 2 व 5 से 11 की सूचना के संबंध में अपीलार्थी की अपील खारिज की जाती है।

अपीलार्थी द्वारा चाही गई बिन्दु सं0 1 की सूचना के संबंध में अपीलार्थी की अपील आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है। लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी श्रीगंगानगर को आदेश दिया जाता है कि अपीलार्थी द्वारा पत्र सं0 6275 दिनांक 18.08.16 के संबंध में बिन्दु सं0 1 की चाही गई सूचना स्पष्ट रूप से उपलब्ध करवाई जावे। आदेश की प्रति लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी श्रीगंगानगर को पालनार्थ भिजवाई जावे। आदेश की प्रति अपीलार्थी को भी भिजवाई जावे। पत्रावली बाद तरतीब तकमील दाखिल दफ्तर हो।

आदेश आज दिनांक 11.04.2017 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(ज्ञाना राम)

जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर